

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर १५८
कार्यालय आदेश

निम्नांकित कार्मिक के नाम के सामने विवरणांकितानुसार राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा अनुसार पदोन्नति प्रदान करते हुए पूर्व वर्षों से आर आर रिव्यू एण्ड रिविजन/डीपीसी में चयन के फलस्वरूप पूर्व से ही व्याख्याता(वाणिज्य) के पद पर कार्यरत होने के कारण, निम्नांकित कार्मिक के नाम के आगे अंकितानुसार एतद् द्वारा पदस्थापन/यथावत पदस्थापन के आदेश प्रस्तारित किये जाते हैं।

क्रम	वरिष्ठता क्रमांक/वर्ष	नाम कार्मिक पद पदस्थापन स्थान	चयन वर्ष विवरण	विवरण
1	1130(2)/ 2008-09	शीशराम पचार व्या.- वाणिज्य राबाउमावि चिङ्गावा -झुंझुनूं	शिविरा-मा/ संस्था/सी-2/ वाणिज्य/रिव्यू रिरि/16-17/ दिनांक 29.08.16 एवं शिविरा-माध्य/ संस्था/सी-ओए/ 6004/चयन/ 2017-18 दिनांक 12.07.17	कार्मिक पूर्व से ही आर.आर. डीपीसी 16-17 वाणिज्य में कार्यरत होने के कारण डीपीसी वर्ष 17-18 में पदस्थापन यथावत।

सम्बन्धित तत्काल पालना करावें।


०६
 (सौरभ स्वामी)
 आई.ए.एस.
 निदेशक
 माध्यमिक शिक्षा
 राजस्थान बीकानेर

क्रमांक— शिविरा-मा/संस्था/सी-2/वाणिज्य/डीपीसी-2017-18/ाा दिनांक-

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत—

०९/०९/२०२१

- 1 शासन सचिव—शिक्षा, शासन सचिवालय, राजस्थान सरकार, जयपुर
- 2 संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा(गुप्त-2)/ कार्मिक(क-5)विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
- 3 विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री(स्वतंत्र प्रभार) राजस्थान सरकार जयपुर
- 4 सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
- 5 सम्बन्धित संयुक्त निदेशक— स्कूल शिक्षा
- 6 सम्बन्धित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
- 7 सिस्टम एनालिस्ट—कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाइट पर अद्यतन करने बाबत।
- 8 संबंधित कार्मिक को पाबन्द किया जाता है कि उपरोक्त निर्देशानुसार शाला दर्पण में अपने से संबंधित आवश्यक प्रपत्रों की पूर्ति आवश्यक रूप से करें।
- 9 सहायक निदेशक वरिष्ठता—नियम/गोपनीय प्रतिवेदन/विभागीय जांच/डीपीसी अनुभाग/शाला दर्पण अनुभाग कार्यालय हाजा को उक्तानुसार कार्मिक के कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण की प्रभावी मोनिटरिंग करें।
- 10 निजी एवं रक्षित पत्रावली


 संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
 माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
 बीकानेर